4285

उत्तर प्रदेश शासन
नगर विकास अनुभाग–2
संख्या–380/9–2–2010–58मिस/2007
लखनऊ : : दिनांक–04 फरवरी, 2010

कार्यालय–ज्ञाप

उ0प्र0 जल संभरण तथा सीवर व्यवस्था अधिनियम, 1975 की धारा 100–क में उल्लिखित व्यवस्था के अनुरूप अधिसूचना संख्या–423/9–2–99–57(76)–87 दिनांक–01 अप्रैल 1999, अधिसूचना संख्या–425/9–2–99–57(76)–87 दिनांक–01 अप्रैल 1999, अधिसूचना संख्या–424/9–2–99–57(76)–87 दिनांक–01 अप्रैल 1999, अधिसूचना संख्या–427/9–2–99–57(76)–87 दिनांक–01 अप्रैल 1999, एवं अधिसूचना संख्या–426/9–2–99–57(76)–87 दिनांक–01 अप्रैल 1999 द्वारा कमशः जलसंस्थान कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, लखनऊ एवं आगरा को विघटित किया गया था। तत्पश्चात अधिसूचना संख्या–915/9–2–99–57(76)–87 दिनांक–26 जुलाई 1999, अधिसूचना संख्या–912/9–2–99–57(76)–87 दिनांक–26 जुलाई 1999, अधिसूचना संख्या–916/9–2–99–57(76)–87 दिनांक–26 जुलाई 1999, अधिसूचना संख्या–914/9–2–99–57(76)–87 दिनांक–26 जुलाई 1999 एवं अधिसूचना संख्या–913/9–2–99–57(76)–87 दिनांक–26 जुलाई 1999 द्वारा विघटन के संबंध में निर्गत उपर्युक्त अधिसूचनाओं को स्थगित किया गया था। कार्यालय ज्ञाप संख्या–481/नौ–3–2001–08 मिस/2001 दिनांक–09 फरवरी 2001, कार्यालय ज्ञाप संख्या–484/नौ–3–2001–08 मिस/2001 दिनांक–09 फरवरी 2001, कार्यालय ज्ञाप संख्या–485/नौ–3–2001–08मिस/2001 दिनांक–09 फरवरी 2001, कार्यालय ज्ञाप संख्या–482/नौ–3–2001–08 मिस/2001 दिनांक–09 फरवरी 2001 एवं कार्यालय ज्ञाप संख्या–483/नौ–3–2001–08मिस/2001 दिनांक–09 फरवरी 2001 द्वारा कमशः जल संस्थान कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, लखनऊ एवं आगरा को विघटित किये जाने संबंधी पूर्व में निर्गत अधिसूचनाएं दिनांकित 01 अप्रैल 1999 को स्वतः प्रभावी माना गया था। इस प्रकार विधिक दृष्टि से जल संस्थानों का नगर निगम में विलय हो चुका है, परन्तु समुचित नई प्रशासनिक व्यवस्था न होने के कारण पूर्व की ही व्यवस्था लागू चल रही है।

2– चूँकि 74वें संविधान संशोधन के फलस्वरूप बारहवीं अनुसूची के मद संख्या–5 में वर्णित घरेलू, औद्योगिक और वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिये जल प्रदाय के संबंध में जल संस्थानों को नगर निगम के जलकल विभाग स्वरूप प्रत्यावर्तित किये जाने के प्रयोजनार्थ उ0प्र0 जल संभरण एवं सीवर व्यवस्था अधिनियम 1975 की धारा 100 के पश्चात् धारा 100–क जोड़ा गया था। नई व्यवस्था को प्रभावी ढ़ग से लागू करने हेतु शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त् निम्नांकित निर्णय लिया गया हैं :–

(1) उ0प्र0 जल सम्भरण तथा सीवर व्यवस्था अधिनियम, 1975 की धारा 100–क में की गयी व्यवस्था के दृष्टिगत् नगर निगम कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, लखनऊ एवं आगरा में स्थित जल संस्थानों का

विलय करते हुये अब उक्त जलसंस्थान संबंधित नगर निगमों के जलकल विभाग के रूप में कार्य करेंगे।

(2) महाप्रबन्धक जल संस्थान कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, लखनऊ एवं आगरा अब क्रमशः महाप्रबन्धक जलकल विभाग नगर निगम कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, लखनऊ एवं आगरा कहलायेंगें। अन्य नगर निगमों यथा नगर निगम मेरठ, सहारनपुर, अलीगढ़, बरेली, गोरखपुर, मुरादाबाद, गाजियाबाद के नगर अभियन्ता (जल) अब महाप्रबन्धक जल कल विभाग नगर निगम कहलायेंगें।

(3) नगर निगम कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, लखनऊ एवं आगरा के जलकल विभाग का बजट नगर निगम सदन से पास होंगें। 31 मार्च 2010 तक पूर्व में पास किया गया बजट यथावत रहेगा।

(4) समस्त महाप्रबन्धक, जलकल विभाग, नगर निगम को रू0 5.00 लाख (रू0 पांच लाख मात्र) तक के वित्तीय अधिकार होंगे एवं वे इसके आहरण एवं वितरण अधिकारी होगें। रू0 5.00 लाख (रू0 पांच लाख मात्र) से ऊपर के वित्तीय अधिकार उ0प्र0 नगर निगम अधिनियम, 1959 में निहित व्यवस्था के अनुसार निर्धारित किये जायेंगे।

(5) उ0प्र0 जल संभरण तथा सीवर व्यवस्था अधिनियम 1975, कि धारा 101 के अन्तर्गत प्रत्येक जलकल विभाग नगर निगम के लिये एक पृथक निधि का प्राविधान है,। तद्नुसार एक निधि का गठन किया जाता है, जिसे "जल सम्भरण तथा सीवर व्यवस्था संबंधी निधि" कहा जायेगा, जो 'स्थानीय निधि' समझी जायेंगी तथा जिसमें ऐसे जलकल विभाग नगर निगम द्वारा जल सम्भरण तथा सीवर व्यवस्था संबंधी सेवाओं की प्रोन्नति, संचालन, अनुरक्षण, तथा उनके संबंध में प्राप्त सभी धनराशियों को तथा ऐसे समस्त राजस्व को भी, जो उपर्युक्त सेवायें किये जाने के संबंध में प्राप्त हों, जमा किया जायेगा। उपर्युक्त निधि में जमा की गयी धनराशि का उपभोग अनन्य रूप से जलकल विभाग, नगर निगम द्वारा जल सम्भरण तथा सीवर व्यवस्था संबंधी सेवाओं के प्रयोजन के लिये किया जायेगा अन्य प्रयोजनों हेतु नही ।

तद्नुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

(आलोक रंजन)
प्रमुख सचिव।

संख्या–386 (1)/9–2–2009 तद्दिनांक।

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

प्रेषितः–

1– मा0 मेयर, समस्त नगर निगम, उ0प्र0
2– निदेशक, स्थानीय निकाय, उ0प्र0 लखनऊ।
3– प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम।
4– समस्त मण्डलायुक्त उ0प्र0।
5– समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
6– समस्त नगर आयुक्त नगर निगम।
7– महाप्रबन्धक जलसंस्थान कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, लखनऊ, आगरा सम्प्रति महाप्रबन्धक जलकल विभाग नगर निगम कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, लखनऊ, आगरा।
8– नगर अभियन्ता (जल) सम्प्रति महाप्रबन्धक, जलकल विभाग नगर निगम मेरठ, सहारनपुर, अलीगढ़, बरेली, गोरखपुर, मुरादाबाद, गाजियाबाद।
9– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

4/2/201

(विजय बहादुर सिंह)
विशेष सचिव।